

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 27, शक 1937

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 1-38-2014-बयालीस-(1).—मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 में निम्नलिखित ओर संशोधन करती है ; अर्थात्:—

संशोधन

1. नियम 2 में खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(ड) “लिखित परीक्षा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या सरकारी द्वारा पदाभिहित किसी एजेन्सी द्वारा सेवा में भरती के लिए संचालित कोई परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा जैसे इंजीनियरिंग में स्नातक अभिरूचि परीक्षा अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा भरती के प्रयोजन के लिए यथा अनुमोदित इन परीक्षाओं के समतुल्य कोई अन्य परीक्षा.”

2. नियम 10 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.—लिखित परीक्षा से अभिप्रेत है नियम 2 के खण्ड (ड) में यथा परिभाषित परीक्षा.”

No. F-1-38-2014-XLII (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Technical Education Engineering Collage (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, after clause (1), the following clause shall be added, namely:—

“(m) “Written Examination” means an examination conducted for recruitment in the service by Madhya Pradesh Public Service Commission or any agency authorized by the Government or National level examination such as Graduate Aptitude Test in Engineering or or National Eligibility Test or any other examination equivalent to these examinations as approved by the State Government for purpose of recruitment.”.

2. In rule 10, after sub-rule (2), the following explanation shall be added, namely:—

“**Explanation:** Written Examination means the examination as defined in class (m) of rule 2.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनील कुमार, अपर सचिव.